Area: 1. Access to Information and Transparency Enablers
Q 6: Implement a system whereby business entities are issued a single ID for all State taxes (VAT and CST, and PT, Entertainment Tax, Entry Tax and Luxury Tax where applicable)

Response: MP Commercial Tax Department is compliant

- MP Government by administrative order dated **10th June 2016** have taken a decision to implement Single ID for different State Taxes including VAT, CST, Entertainment Tax, Entry Tax and LEEAT (Luxury, Entertainment & Advertisement Tax).

- With the administrative order, all new Dealers / Registered Users would be provided with Single ID for different type of State Taxes.

Annexure: Administrative Order for Single ID is attached below:

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश

महात्मा गॉधी मार्ग, इन्दौर – 452 007 फोन : ऑ. 073–2437307, 0731–2530062 फैक्स : 0731–2536229

क्रमांक 36/2016–17/30/पन्द्रह/330 इन्दौर, दिनांक 10 जून, 2016

प्रति,

वृत्त प्रभारी,
सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषयः करदाताओं को यूनिक आईडेंटिटि कोड प्रदाय करने के संबंध में।

वर्तमान में म.प्र.वेट अधिनियम, 2002 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 एवं प्रवेशकर अधिनियम, 1976 हेतु एक ही पंजीयन (टिन) प्रदाय किए जाने की व्यवस्था है। म.प्र.वृत्तिकर अधिनियम 1995 हेतु तथा म.प्र.विलासिता, मनोरंजन, आमोद प्रमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम 2011 हेतु पृथक पृथक पंजीयन लिए जाने की व्यवस्था है। कई बार करदाताओं को एक से अधिक विधानों में कर देयता होने के कारण एक से अधिक पंजीयन नंबर लिए जाने हेतु बाध्य होना पड़ता है। एक से अधिक पंजीयन होने के कारण अनेक बार कर जमा करते समय सही विधान का पंजीयन नंबर अंकित करने में भूल हो जाने से करदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभाग को भी पंजीयन नंबरों में को–रिलेशन स्टेबलिश करने में कठिनाईयॉ आती है।

"इज ऑफ डूईंग बिजनेस" के तहत् समस्त करदाताओं को समस्त विधानों हेतु एक ही यूनिक आईडेंटिटि कोड देने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि व्यवसायी को पृथक पृथक पंजीयन रखने की आवश्यकता न हो।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि जिन करदाताओं द्वारा एक से अधिक विधानों के लिए उपरोक्तानुसार पंजीयन नंबर लिया गया हो/लिया जाता है उन्हें एक ही नंबर (यूनिक आईडेंटिटि कोड) दिया जाए ताकि करदाताओं द्वारा एक ही नंबर का उपयोग करते हुए विभिन्न मदों (अधिनियमों) से संबंधित कार्य किया जा सके तथा विभाग को भी ऐसे करदाताओं द्वारा एक से अधिक अधिनियमों में किए जा रहे कार्यों में को–रिलेशन स्थापित किया जा सके।

इस संबंध में वृत्त प्रभारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि आप अपने वृत्त में उपरोक्तानुसार समस्त विधानों से संबंधित पंजीयन नस्ती को अद्यतन कर लें साथ ही साथ अपने स्तर से एक ही करदाता द्वारा यदि एक से अधिक विधानों में उपरोक्तानुसार पंजीयन लिया गया हो तो उस संबंध में भी जानकारी एकत्रित करें ताकि जैसे ही साफ्ट वेअर में आवश्यक बदलाव लाते हुए यह व्यवस्था लागू की जाती है तो आपसे इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

आयुक्त
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश
इन्दौर

पृ.क्रमांक 36/2016–17/30/पन्द्रह/330 इन्दौर, दिनांक 10 जून, 2016

प्रतिलिपि–

1. अपर आयुक्त (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर (समस्त) की ओर इस निर्देश के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ वृत्त प्रभारियों के द्वारा की जा रही कार्यवाही की मॉनिटरिंग करते रहे ताकि व्यवस्था लागू होने पर इसे शीघ्र स्थापित किया जा सके।

उपायुक्त
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश
इन्दौर